

सं0सं0-3/यो-सं0कं-48/2023/.....

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 15.4.2026

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मिशन शक्ति के तहत केन्द्र प्रायोजित संबल उप योजना अन्तर्गत महिला हेल्पलाईन योजना के संचालनार्थ रू० 76.63 लाख (छिहत्तर लाख तिरसठ हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महिलाओं को 24x7 पद्धति के माध्यम से आकस्मिक अथवा गैर आकस्मिक सहायता त्वरित गति से प्रदान करने के साथ उनके हितों के कल्याणार्थ राज्य में संचालित योजनाओं की अद्यतन जानकारी उन्हें उपलब्ध कराने एवं आकस्मिक अवस्था में पडी महिलाओं/बालिकाओं को वांछनीय सहायता उपलब्ध कराने के निमित्त मिशन शक्ति के तहत केन्द्र प्रायोजित संबल उप योजना अन्तर्गत महिला हेल्पलाईन कार्यान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में मिशन शक्ति के तहत केन्द्र प्रायोजित संबल उप योजना अन्तर्गत महिला हेल्पलाईन योजना के संचालनार्थ कुल रू० 76.63 लाख (छिहत्तर लाख तिरसठ हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम एवं विपत्र कोड	PFMS Code	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	मिशन शक्ति (सम्बल)- महिला हेल्पलाईन विपत्र कोड (51-2235021030232)	3979	0232.3104, 31.06	76.63
कुल रू० (छिहत्तर लाख तिरसठ हजार)				76.63

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी 38 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्रखंड/परियोजना स्तर पर सभी 544 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन. पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश/CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 12888/वि० दिनांक-03.12.2024, पत्रांक 410 दिनांक 12.06.2025, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका सं०- 3/यो-सं०-48/2023/ के टिप्पणी पृष्ठ सं०-29/टि० पर दिनांक- 15-04-2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं०-3/यो-सं०-48/2023/ के टिप्पणी पृष्ठ सं०-30/टि० पर दिनांक- 15-04-2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाज

Mistya 26

(योगेश कुमार सागर)

अपर सचिव।

जापांक- 3/यो-सं०-48/2023/.....

/.....SS...../दिनांक- 15.4.2026

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, आई.सी.डी.एस., निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/ सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Mistya 26

अपर सचिव।

जापांक- 3/यो-सं०-48/2023/.....

/.....SS...../दिनांक- 15.4.2026

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Mistya 26

अपर सचिव।

जापांक- 3/यो-सं०-48/2023/.....

/.....SS...../दिनांक- 15.4.2026

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Mistya 26

अपर सचिव।